Date 18-02-2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

प्रेस नोट

आगामी पंचायत चुनाव के लिये पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों/शराब माफियाओं के विरूद्व कार्ययोजना।

अवगत कराना है कि आवकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर. भूसरेड्डी व श्री अवनीश कुमार अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत प्रत्येक थाने पर माह में कम से कम एक बार आबकारी विभाग व ग्राम प्रहरियों के साथ संयुक्त गोष्ठी कर अवैध मदिरा निर्माण/तस्करी/व्यापार करने वाले शातिर एंव सक्रिय गिरोह के सदस्यो का पता लगाया जा सके।

ग्राम प्रहरियों को गोष्ठी में सम्मिलित कराने का उद्देश्य है कि इनको संवेदनील/सक्रिय बनाया जा सके जिससे ग्राम प्रहरियों के माध्यम से गॉव व क्षेत्रों के अपराध/अपराधियों की सूचनाएँ एकत्र की जा सके। इस प्रकार पुलिस विभाग/आवकारी विभाग/ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी से क्षेत्र की सूचनाओं का आदान प्रदान अवैध शराब का धन्धा/व्यापार/निष्कर्षण/अपमिश्रित शराब बनाने वालो पर अंकुश लगाया जा सकता है।

यदि कोई ग्राम प्रहरी सूचनाओं को देने में विफल रहता है तो उसके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। सूचना मिलने के उपरान्त पुलिस विभाग/आवकारी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो इनके विरूद्व भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण/अपराध/यातायात व सभी क्षेत्राधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी तथा सभी थाना प्रभारियों को पूर्व में ही अवगत/निर्देशित किया जा चुका है। गोष्ठी के आयोजन के सम्बन्ध में आप लोगों को समय से सूचित किया जायेगा।

प्रेस नोट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 01 वारन्टी को गिरफ्तार करना ।

सादर अवगत कराना है कि आज दिनाँक 08.02.2021 को उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार मय का0 2041 राजीव कुमार , का0 2045 संदीप सिरोही द्वारा वाद सं0 347/2017 धारा 302 भादवि न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट न0 05 बिजनौर में वारंटी अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र छतर सिंह नि0 ग्राम मकनपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जाएगा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र छतर सिंह नि0 ग्राम मकनपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर को सम्बन्धित वाद सं0 347/2017 धारा 302 भादवि में दिनांक 18.02.21 समय 07.50 बजे ग्राम मकनपुर थाना स्योहारा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार
2. का0 2045 संदीप सिरोही
3. का0 2041 राजीव कुमार

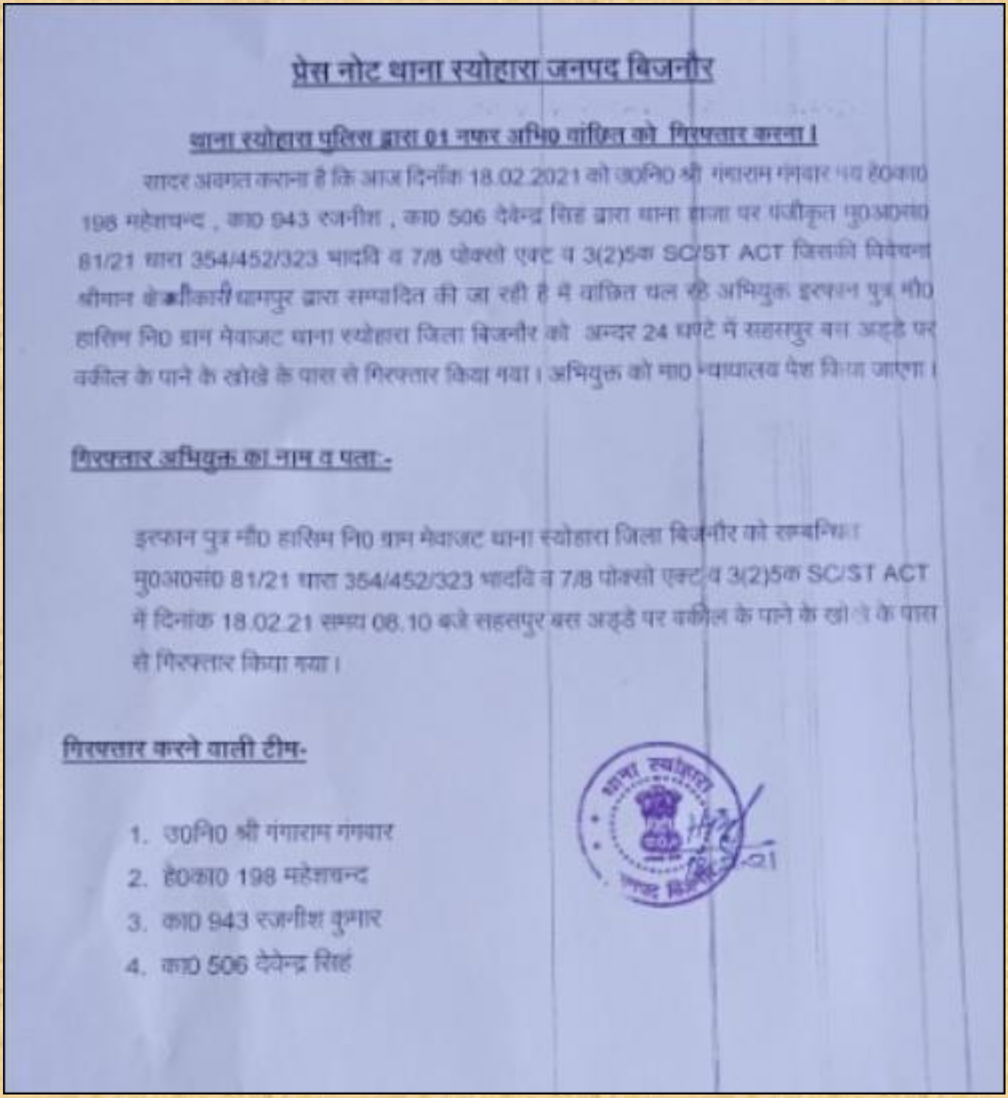

प्रेस नोट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 01 नफर अभि0 वांछित को गिरफ्तार करना।

सादर अवगत कराना है कि आज दिनाँक 18.02.2021 को उ0नि0 श्री गंगाराम गंगवार मय है0का0 198 महेशचन्द , का0 943 रजनीश , का0 506 देवेन्द्र सिंह द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/21 धारा 354/452/323 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2)5क SC/ST ACT जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है में वांछित चल रहे अभियुक्त इरफान पुत्र मौ0 हासिम नि0 ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जिला बिजनौर को अन्दर 24 घण्टे में सहसपुर बस अड्डे पर वकील के पाने के खोखे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इरफान पुत्र मौ0 हासिम नि0 ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जिला बिजनौर को सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 354/452/323 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2)5क SC/ST ACT में दिनांक 18.02.21 समय 08.10 बजे सहसपुर बस अड्डे पर वकील के पाने के खोखे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री गंगाराम गंगवार
2. है0का0 198 महेशचन्द
3. का0 943 रजनीश कुमार
4. का0 506 देवेन्द्र सिंह

थाना स्योहाराः- आज दिनांक 18.02.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.शाहनवाज पुत्र इस्लामुद्दीन 2.इकरामुद्दीन पुत्र राम जानी 3.मोहम्मद सलमान पुत्र मोहम्मद आलम 4.मोहम्मद शमशाद पुत्र मोहम्मद शमशेर 5.मोहम्मद आसिफ पुत्र नासिर निवासीगण मोहल्ला मनसूर सराय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 6.अभियुक्त तेजवीर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट धामपुर के समक्ष पेश किया गया।

थाना चांदपुरः- दिनांक 17.02.021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश पुत्र रामपाल सैनी निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस समबन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 109 /2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना मंडावलीः- आज दिनांक 18.02.2021 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त असलम पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मिर्जापुर शहर उर्फ नयागांव थाना मंडावली बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद बिजनौर दिनांक 18-02-2021

आज दिनांक **18.02.2021** को थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में सारंग कान्वेन्ट पब्लिक स्कूल की छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा।

आज दिनांक **18.02.2021** को थाना हीमपुर दीपा की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये **"मिशन शक्ति"** के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में एस0बी0डी0 कालेज की छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा।